निर्णय लोक अदालत न्याय आपके द्वार

श्री के.आर.चौहान सहायक कलक्टरएवं उपखण्ड अधिकारी(RAS) देवगढ़

केम्प मियाला

प्र.सं 285/2016 प्रा.पत्र   निर्णय दिनांक 1.05.2018

अनवान

1. गोपीलाल पिता प्यारेलाल सेन नि. बरार त.भीम जि.राजसमंद

.........प्रार्थी

बनाम

1. श्री धन्नाराम पिता हजारीराम बलाई नि. राधारेल शक्करगढ त. देवगढ़
2. श्रीमति बदामी देवी पत्नी मोतीसिंह रावत नि. धोरेला कुशलपुरा त. भीम
3. श्री पूना पिता माला भील नि. शक्करगढ़ त.देवगढ़

.............विपक्षीगण

वाद अर्न्तगत धारा 111–128 राज. ले. रे. एक्ट

पत्रवाली आज दिनांक 1.5.2018 राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प मियाला में पेश हुई। पक्षकारण को जारी सम्मन तामील हो शामिल पत्रावली हैं। विपक्षी संख्या 3 श्री पूना राम उपस्थित जिसने प्रार्थी द्वारा उसकी भूमि की पत्रगढ़ी करायें जानें में कोई आपति नहीं होना निवेदन किया। अन्य पक्षकार सूचना के बावजूद अनुपस्थित रहें। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का आवलोकन किया विवरण इस प्रकार है।

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम शक्करगढ़ प.ह. मियाला त.देवगढ़ में उसकी कृषि भूमि स्थित हैं। खाता सं. 33 अराजी न. 1081/178 रकबा 15.00.00 बीघा है। उक्त वर्णित भूमि की प्रार्थी ने अभी तक पत्रगढ़ी नहीं करवाई हैं। मौके पर पक्की पत्थर की दीवार

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

अथवा सीमा चिन्ह नहीं होने से प्रार्थी व विपक्षीगण के बीच सीमा सम्बंधी विवाद बना रहता है। हर समय फसल बवाई तथा कटाई के सीमा सम्बधित विवाद करते रहते हैं जिससे प्रार्थी को अनावश्यक मुकदमें बाजी के लिये विवश होना पड़ता हैं। मौके पर अशांति कायाम रहती हैं। जिससे प्रार्थीगण उसकी भूमिका शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग काश्त वगैरह नहीं कर पा रहें हैं यदि प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि की बादनपती पत्थरगढी हो जाती है तो इस समस्या का हमेशा हमेशा के लिए समाधान हो जाऐगा तथा प्रार्थीगण उकसी भूमिका का शन्तिपूर्वक काश्त उपयोग उपभोग वगैरह कर सकेगा। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा कर प्रार्थीगण की उक्त वर्णित खातेदारी भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किये गये। तत्पश्चात प्रकरण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प मियाला में नियत कर। पक्षकारन को पुनः सूचना पत्र जारी किये गये। प्रतिउतर में विपक्षी संख्या 3 ने उपस्थित होकर प्रार्थी द्वारा उसकी भूमि की पत्थरगढ़ी कराये जाने में कोई ऐतराज नहीं होना निवेदन किया। अन्य पक्षकारन अनुपस्थित रहें।यदि प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि की बादनपती पत्थरगढी हो जाती हैं तो इस समस्या का स्थाई समाधान हो जायेगा।

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र नकल जमाबन्दी एवं पत्रावली में संलग्न अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया । ग्राम शक्करगढ़ पटवार हलका मियाला तहसील देवगढ़ की नकल जमाबंदी सं0 2067 से 2070 में प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमि के खातेदार हैं। खातेदार उसके खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी करा सकता हैं।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि जो ग्राम शक्करगढ़ प.ह. मियाला में स्थित हो ख़ाता सं.33 अ.सं. 1081/178 रकबा 15.00 बीघा है, की पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे की प्रार्थीगण

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

से नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क जमा करा पक्षकारान को सूचित करा मौके पर पत्थरगढ़ी की जाकर रिपोर्ट पेश करें।

पत्रावली फैसल शुमार को नम्बर से कम की जावें। निर्णय आज दिनांक 1.5.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प मियाला में मजमे आम सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम कि जावें।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला राजसमंद